

अप्रैल 2024

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स:

- **मैक्रोइकोनॉमिक विकास**
 - रेपो रेट 6.5% पर अपरविरतति
- **कानून एवं न्याय**
 - पेपर बैलेट की वापसी, VVPAT पर्चियों के 100% सत्यापन की मांग वाली याचिका खारजि
 - क्वीर व्यक्तियों के कल्याण हेतु उपायों की सफारिश करने के लिये समिति का गठन
- **वित्त**
 - लघु वित्त बैंकों को सार्वभौमिक बैंकों में बदलने हेतु सर्कुलर जारी
 - डिजिटल ऋण में ऋण एकत्रीकरण में पारदर्शिता हेतु मसौदा दशा-नरिदेश जारी
 - डिजिटल ऋण में ऋण एकत्रीकरण में पारदर्शिता हेतु मसौदा दशा-नरिदेश जारी
- **ऊर्जा**
 - PM सूर्य घर: मुफ्त बजिली योजना के लिये मसौदा दशा-नरिदेश
- **संचार**
 - टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम की साझेदारी पर सफारिशें जारी

मैक्रोइकोनॉमिक विकास

रेपो रेट 6.5% पर अपरविरतति

- **भारतीय रजिस्व बैंक (RBI)** की **मौद्रिक नीति समिति** (Monetary Policy Committee- MPC) ने पॉलिसी रेपो रेट (जसि दर पर RBI बैंकों को ऋण देता है) को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला कया है।
- समितिके अन्य नरिणयों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - **स्थायी जमा सुवधि दर** (वह दर जसि पर RBI बनिा संपार्श्विक दयि बैंकों से उधार लेता है) को 6.25% पर बरकरार रखा गया है।
 - **सीमांत स्थायी सुवधि दर** (वह दर जसि पर बैंक RBI से अतरिकित धन उधार ले सकते हैं) और बैंक दर (वह दर जसि पर RBI **वनिमिय के वधियक खरीदता** है) को 6.75% पर बरकरार रखा गया है।

कानून एवं न्याय

पेपर बैलेट की वापसी, VVPAT पर्चियों के 100% सत्यापन की मांग वाली याचिका खारजि

- **सर्वोच्च न्यायालय** ने मतदान प्रक्रया में कुछ सुधारों की मांग करने वाली याचिका को खारजि कर दया।
- याचिकाकर्त्ताओं ने नमिनलखिति मांग की थी:
 - मतदान की पेपर बैलेट प्रणाली पर वापसी।
 - मतदाताओं द्वारा VVPAT पर्चियों का भौतिक सत्यापन।
 - **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)** में दर्ज मतों की गनिती के अलावा VVPAT पर्चियों की 100% गनिती।
- हाल ही के नरिणय में न्यायालय ने कहा कि:
 - अब तक **VVPAT पर्चियों और इलेक्ट्रॉनिक रूप से रकिॉर्ड कयि** गए मतों के बीच कोई वसिंगत नहि पाई गई।
 - उसने कहा कि VVPAT पर्चियों की 100% गनिती से गनिती में देरी होगी और इसमें शामिल कर्मचारियों को दोगुना करने की आवश्यकता होगी।
 - उसने यह भी कहा गया कि **EVM** ने **बूथ कैपचरिंग और अवैध मतों जैसे मुद्दों को प्रभावी ढंग से समाप्त** कर दया है, जो पेपर बैलेट प्रणाली में प्रचलति थे।

- मतदाताओं को VVPAT पर्चियों तक भौतिक पहुँच मिलने से दुरुपयोग और कदाचार को बढ़ावा मिला।
- न्यायालय ने इस मामले में दो नरिदेश जारी किये:
 - सभी उम्मीदवारों के चुनाव चिह्न VVPAT मशीन में लोड होने के बाद, चुनाव चिह्न लोड करने वाली इकाइयों को सील कर दिया जाना चाहिये और परणाम घोषित होने के बाद कम-से-कम 45 दिनों के लिये EVM के साथ एक कमरे में स्टोर किया जाना चाहिये।
 - परणाम घोषित होने के बाद EVM मैनुयूफैक्चरर्स के इंजीनियर्स की एक टीम हरेक वधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र के खंड के 5% EVM की मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जाँच करे, ताकि इनके साथ होने वाली छेड़छाड़ का पता लगाया जा सके।

कवीर व्यक्तियों के कल्याण हेतु उपायों की सफारिश करने के लिये समिति का गठन

- कानून एवं न्याय मंत्रालय ने कवीर/समलैंगिक व्यक्तियों के कल्याण और सुरक्षा के उपायों पर सुझाव देने के लिये एक समिति का गठन किया।
- समिति का गठन अक्टूबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में किया गया है।
 - न्यायालय के सामने यह सवाल था कि क्या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 समलैंगिक जोड़ों के विवाह को मान्यता न देकर समानता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
- समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे।
- समिति के सदस्यों में गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव शामिल हैं।
- समिति यह सुनिश्चित करने के लिये उपायों की जाँच करेगी और सफारिश करेगी कि समलैंगिक व्यक्ति:
 - वस्तुओं, सेवाओं और कल्याण अधिकारों तक पहुँच के दौरान भेदभाव नहीं किया जाता है।
 - हिसा या ज़बरदस्ती की धमकियों का सामना न करना।
 - अनैच्छिक चिकित्सा उपचार के अधीन नहीं हैं।

वित्त

लघु वित्त बैंकों को सार्वभौमिक बैंकों में बदलने हेतु सर्कुलर जारी

- भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने लघु वित्त बैंकों को सार्वभौमिक बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन देने के लिये एक सर्कुलर जारी किया।
- एक सार्वभौमिक बैंक में परिवर्तन के लिये लघु वित्त बैंकों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें नमिनललिखित शामिल हैं:
 - न्यूनतम पाँच वर्षों के प्रदर्शन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड।
 - किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध उनके शेयर।
 - पछिली तमिाही के अंत में न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए।
 - पछिले दो वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ।
- लघु वित्त बैंकों के लिये एक चिह्नित प्रमोटर का होना अनविरय नहीं है।
- सार्वभौमिक बैंकों में परिवर्तन के लिये विविध ऋण पोर्टफोलियो वाले योग्य लघु वित्त बैंकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

डजिटल ऋण में ऋण एकत्रीकरण में पारदर्शिता हेतु मसौदा दशा-नरिदेश जारी

- भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने 'डजिटल ऋण-एकाधिक ऋणदाताओं से ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण में पारदर्शिता' पर मसौदा दशा-नरिदेश जारी किया।
- उधारकर्त्ताओं को संभावित उधारदाताओं के बारे में पूरा जानकारी रखने के लिये मसौदा दशा-नरिदेश कुछ उपायों को नरिदष्ट करते हैं।
- इनमें नमिनललिखित शामिल हैं:
 - ऋण सेवा प्रदाताओं को सभी इच्छुक उधारदाताओं से उधारकर्त्ता को ऋण प्रस्तावों का एक डजिटल दृश्य प्रदान करना होगा।
 - ऋण सेवा प्रदाता को ऋण देने के लिये ऋणदाताओं की इच्छा नरिधारित करने हेतु एक सुसंगत तंत्र का पालन करना चाहिये।
 - पारदर्शिता सामग्री नषिपक्ष होनी चाहिये और उधारकर्त्ताओं को गुमराह करने के लिये डारक पैटर्न के माध्यम से किसी विशेष उत्पाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिये।

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मसौदा दशा-नरिदेश जारी

- भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने RBI (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) दशा-नरिदेश, 2024 का मसौदा जारी किया।
- इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ETP) पात्र उत्पादों में लेन-देन के लिये मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं।
- नरिदेशों की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
 - प्राधिकरण:
 - संस्थाएँ, नवासी या गैर-नवासी प्राधिकरण हासिल करने या RBI के साथ पंजीकरण करने के बाद ETP संचालित कर सकते हैं।
 - अधिकृत/पंजीकृत ऑपरेटरों को अपने प्लेटफॉर्म पर केवल उन्हीं उपकरणों में लेन-देन करना होगा जिन्हें RBI द्वारा अनुमोदित किया गया है।
 - मौजूदा ETP को नरिदेश जारी होने के तीन महीने के भीतर प्राधिकरण/पंजीकरण के लिये आवेदन करना होगा।
- पात्रता के मानदंड:

- मंजूरी हासिल करने के लिये कसी इकाई को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा।
- इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - इकाई भारत में नगिमति कंपनी होनी चाहिये।
 - इकाई या उसके प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के पास वित्तीय व्यापार इंफ्रास्ट्रक्चर को संचालित करने का कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
 - इकाई की न्यूनतम नेटवर्थ पाँच करोड़ रुपए होनी चाहिये।
 - रयिल टाइम या लगभग रयिल-टाइम आधार पर कारोबारी जानकारी प्रसारित करने की क्षमता होनी चाहिये।
- **ऑपरेटिंग ढाँचा:**
 - एक ETP ऑपरेटर को कुछ शर्तों का पालन करना होगा।
 - इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - एक उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी सदस्यता मानदंड रखना।
 - सदस्यों को शामिल करते समय ड्यू डेलिजेंस करना।
 - एक व्यापक जोखिम प्रबंधन ढाँचे को अपनाना।
 - गलत लेन-देन की संभावना को कम करने के लिये नयित्रण स्थापित करना।
 - सदस्यों के बीच वविादों के समाधान के लिये एक व्यवस्था तैयार करना।
- **डेटा का संरक्षण:**
 - ETP पर गतविधियों से संबंधित सभी डेटा को कम-से-कम 10 वर्षों तक बनाए रखा जाना चाहिये।

ऊर्जा

PM सूर्य घर: मुफ्त बजिली योजना के लिये मसौदा दशिया-नरिदेश

- नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिये [PM सूर्य घर: मुफ्त बजिली योजना](#) के कार्यान्वयन पर मसौदा दशिया-नरिदेश जारी किये हैं।
- इसका लक्ष्य एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर का इंस्टॉलेशन करना है।
- इस योजना का अनुमानित परवियय 75,021 करोड़ रुपए है।
- इसमें मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम (चरण-II) समाहित हो जाएगा।
- आवासीय उपभोक्ताओं हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता (Central Financial Assistance- CFA) के लिये ड्राफ्ट दशिया-नरिदेश जारी किये गए हैं।
- प्रमुख वशिषताओं में नमिन शामिल हैं:
 - **सहायता के लिये पात्रता:**
 - केवल आवासीय बजिली उपभोक्ता ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें व्यक्तगित घर और हाउसगि सोसायटी शामिल हैं।
 - परिवारों को तीन कलिवाॉट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सोलर ससि्टम्स के लिये CFA प्राप्त होगा।
 - **कार्यान्वयन:**
 - वकिरेताओं और लाभार्थियों को राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
 - वकिरेताओं को ससि्टम ऑफरगिस, मूल्य बढि, डिजाइन और वशिषिताओं को अपलोड करना होगा।
 - एक बार रूफटॉप सोलर ससि्टम्स स्थापित हो जाने के बाद, CFA लाभार्थी के खाते में, या ऋण खाते में (वित्तपोषण के मामले में) स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

संचार

टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम की साझेदारी पर सफिरशें जारी

- भारतीय दूरसंचार नयामक प्राधिकरण (TRAI) ने 'टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरगि, स्पेक्ट्रम शेयरगि और स्पेक्ट्रम लीजगि' पर अपने सुझाव जारी किये हैं।
- टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी दूरसंचार अवसंरचना को व्यापक तौर पर दो श्रेणियों में वभिजति किया गया है:
 - **नषिक्रयि बुनयिादी ढाँचा:** यह गैर-इलेक्ट्रॉनिक बुनयिादी ढाँचे (जैसे- टावर, भवन और खंभे) को संदरभति करता है।
 - **सक्रयि बुनयिादी ढाँचा:** यह इलेक्ट्रॉनिक बुनयिादी ढाँचे (जैसे- रेडियो और ट्रांसीवर) को संदरभति करता है।
- स्पेक्ट्रम दूरसंचार के लिये उपयोग की जाने वाली **रेडियो फ्रीक्वेंसी के एक बैंड** को कहा जाता है।

प्रमुख सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **अवसंरचना को साझा करना:**
 - ट्राई ने सुझाव दया कि दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारियों को सभी प्रकार की नषिक्रयि और सक्रयि अवसंरचना को साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिये।
 - नषिक्रयि अवसंरचना को सभी प्रकार के लाइसेंसधारियों के साथ साझा किया जा सकता है, हालाँकि सक्रयि अवसंरचना को केवल प्रस्तावित सेवाओं के दायरे के आधार पर साझा किया जा सकता है।
 - अगर साझा करने के बाद दो से कम स्वतंत्र कोर नेटवर्क होंगे तो कोर नेटवर्क तत्त्वों को साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- **स्पेक्ट्रम शेयरगि और लीजगि:**

